माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /द्वितीय अपील —ए-446-PBR/13

रामदास पिता तुलसीदास जी बैरागी, उम्र 70 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी– ग्राम खंडवासुरा, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन ....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, उज्जैन (म.प्र.) ....रेस्पाडेन्ट

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भू.राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय के प्रकरण क्र. 336/अपील/2010–11, रामदास विरूद्ध म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक 27–06–2012 में पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत की जा रही हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, ग्राम खंडवासुरा, तहसील बड़नगर ,जिला उज्जैन में स्थिति भूमि सर्वे नम्बर 206 रकबा 1.11 हेक्टेयर जिसका बंदोबस्त पूर्व का नम्बर 370 रकबा 1.39 हेक्टेयर से संबंधित नक्शे में बंदोबस्त के पूर्व तथा बाद के नवीन नक्शे की आकृति में अंतर स्थापित होने से बंदोबस्त बाद के नक्शे में बंदोबस्त पूर्व के नक्शे की आकृति स्थापित किए जाने अर्थात् बंदोबस्त के दौरान नक्शे में हुई त्रुटि को दुरूस्त किए जाने हेतु अपीलार्थी के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 107 व 89 भू. राजस्व संहिता के अंतर्गत माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु भेजा गया जिस पर से संबंधित पटवारी, गिरदावर द्वारा मौके का अवलोकन कर पंचनामा बनाया

निरन्तर...2

रामदास

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-446-पीबीआर/2013

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 12-02-2015 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	